(41)

| ... |छतरपुर|अ-रा|2017|2052

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
==

राजस्व निग० क्र०- सन् 2017

1- श्रीमती रमाकी पत्नी स्व० श्री आशाराम कुशवाहा आयु 60 वर्ष
2- भगवानदास तनय श्री स्व० आशाराम कुशवाहा आयु 50 वर्ष
3- कमलू तनय स्व० श्री आशाराम कुशवाहा आयु 45 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम सुकवा तह० व जिला छतरपुर म०प्र० .. निगरानी कर्तागण

बनाम

शासन मध्य प्रदेश

1- राम पटेल तनय बाबा दीन कुर्मी
2- कसिया तनय मल्ला कुर्मी
3-श्रीपत तनय मंचू कुर्मी
4- हल्कू तनय बच्चू कुर्मी
5-हरिश्चन्द्र तनय खेमचन्द्र पाठक
6- बनदी तनय दामोदर पाठक
7-चुन्ना तनय दामोदर पाठक
8- रज्जू तनय दामोदर पाठक
9-बीरन तनय दामोदर पाठक
10- निरू तनय दामोदर पाठक
11- रमेश तनय परमानंद पाठक
12- कस्तूरी बाई पत्री स्व० पतर भाकली पुरवा

निवासी पुरवा तह०वजिला छतरपुर म०प्र०

13- कटुवा तनय माखी कुर्मी
14- रामेश्वर तनय बलदेव कुर्मी
15-स्वामी तनय बलदेव कुर्मी
16- गोर्वधन तनय बलदेव कुर्मी
17- मातादीन तनय धुरिया कुर्मी
18- प्रेम तनुत्री हरिया कुर्मी
19- पुन्ना तनय बिलासी

श्री ... द्वारा आज दि. 03.7.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

03/07/17

.....अनावेदक 2-

20- बृराम तनय राम सहाय

21- गिरजा तनय बरूआ

22- रामाधीन तनय सुक्के कुर्मी

निवासी ग्राम सुकवा तह0 व जिला छतरपर म0प्र0 . . प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व
संहिता 1959 अनुविभागीयअधिकारी महोदय
छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0
===================================
प्र0क्र0- 146/अपील/ 2011-12
आदेश दिनांक- 14.06.2017
================================

महोदय,

निगरानी कर्तागण सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते है :-

1- यह कि ग्राम सुकवा तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0 जो भूमि खसरा न0- 944 रकबा 0.737 हे0 की भूमि पूर्व में निगरानी कर्तागणं एवं प्रति निगरानी कर्ता गण के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी ।

2- यह कि निगरानी कर्तागण के पिता आशाराम तनय परम काछी पंजी क्र0- 52 में पारित आदेश दिनांक 22.06.1986 के आधार पर सह खातेदार के नाम पर दर्ज रही हैं और आज दिनांक तक राजस्व अभिलेख में दर्ज है । गैर निगरानी कर्ताक्र0-1 व 2 के अलावालगभग 22 सह-खातेदार होने से बधकार बनाये गये है। इनकी किसी भी तरह की अनुतोष की मांग नही की गई है।

3- यह कि उक्त आदेश दिनांक 14.06.2017 देखने मे ही प्रथम द्रष्टया निगरानी कर्तागण के हितो के विरूद्ध है, इस कारण बहुत से आधारो पर निगरानी कर्तागणो द्वारायह निगरानी श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत करते है ।

निगरानी के आधार
:=================

4- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 14.06.17

-3-

सही
सही
म0पापनगरी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2052 मुस. रमाकी विरूद्ध राम व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 146/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 14-06-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-07-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

06/02/19

3

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 06/02/19
सदस्य